


दिनांक 15.6.20 को

उपानी 4/ गौतम
अपील नं. 37/13


अपर कलेक्टर, नागौर

6/3/20

वकील इमीलीट इ.प. वकील

रेलवे के अंतर्गत (मजदारी) माल डाक
 गेट इमीलीट में वकील इमीलीट में विद्यमान
 अती के मजदूरों का काम 1891 की इमीलीट (मजदारी)
 आयुक्त नामसुध राजपुर में विचारणीय रहे
 प्रत्यक्ष इमीलीट अपने मजदूरों के कि-डू
 पद पुनः माल वकील इमीलीट को सौंप
 रहा है कि नामसुध राजपुर इमीलीट
 गौतम के नाम से इमीलीट में 5/11 गौतम का काम
 उपानी में दिनांक 4.4.2013 को प्रस्ताव
 इमीलीट-मजदारी 312 जो रिमांड प्रिजा-
 अती का, अती इमीलीट के विरुद्ध इमीलीट
 उपानी में नामसुध अती. एम.जी. राजपुर
 में इमीलीट प्रस्ताव को न केवल नामसुध (मजदारी)
 आयुक्त नामसुध राजपुर इमीलीट को
 इमीलीट. 5/11 गौतम का काम उपानी. रिमांड प्रिजा.
 4.4-13 को को प्रस्ताव रिमांड को न के
 इमीलीट. गौतम के प्रस्ताव. 14/2013
 गौतम का काम उपानी. अती. अती. दिनांक 2
 10.6.13 को उपानी. अती. अती. अती.



आज जोर देकर पूरा नगरपालिका के नाम पर
 कीने का आदेश जारी किया, जिसका नाम नया
 न 1891 के अधीन स्वीकार हुआ है, के विरुद्ध
 यह आदेश है। इस प्रकार के नए आदेश 1892-2
 आदेश के विरुद्ध भी न के नए ए-पत्र के पीछे है।

प्रधानी का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त
 आदेशों की 123 अर्थात् 571, जोर देकर नया नाम
 दिनांक 4.4.12 को लिखित आदेश जारी किया
 जिसकी- अधीन नया नाम जारी लेना नया आदेश
 नामानुसार न जारी किया है, अर्थात् आदेश-1890 4.4.2012

की प्रतीति न स्वीकार कर 123 जारी
 की अधीन नया नाम 1890-1892 जारी है, न 189
 प्रकार दिनांकित है न यह आदेश 1895 (2)
 LR Act के जारी हुआ है, जिसकी- अधीन
 नामानुसार न पुनर्गठन सेनाधीन न जारी है।

नया 500 को पूरा आदेश 1890 4.4.12 को
 पर न स्वीकार नामानुसार जारी, जिसकी नया आदेश
 आदेश न जारी है, न 189 अधीन नया नामानुसार
 को नया नया नामानुसार जारी न जारी है।

उपर्युक्त विवेक न स्वीकार अधीन
 की अधीन नया नामानुसार जारी न जारी है
 की जारी है प्रधानी नया नामानुसार जारी न जारी है
 न नया नामानुसार जारी है।



(Signature)
 अपर कलेक्टर, नागौर